न्यायालय उप जिलाधिकारी तहसील रेवदर जिला सिरोही

क्रमांक	पेशी	राजस्व पेशकार	जिलाधीश जिलाधिकारी
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी रमेश कुमार पुत्र नोलाराम आदि मूल निवासी [illegible] तहसील सुमेरपुर जिला सिरोही

विरुद्ध

प्रार्थनी आज पेश हुई। अप्रार्थनी अनुपस्थित। मामला अपील के उपर सुनवाई है कि प्रार्थनी ने सम्वत 2014 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुवलिया की राजकीय भूमि [illegible] ग्राम [illegible] 1.33 हैक्टेयर [illegible] वाला में से 2.00 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थनी रमेश पुत्र नोलाराम आदि मूल निवासी कुवलिया तहसील सुमेरपुर के अवैध रूप से आधार कार्ड पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी सम्वत से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थनी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2056 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अप्रार्थनी अनुपस्थित।

प्रार्थनी की उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का सावधानी से मनन किया गया। अप्रार्थनी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो वर्तमान विद्यमान करते है। जो भी नियमों के अनुकूल है। अतः अप्रार्थनी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2056 की धारा 91 के तहत अप्रार्थनी पारित किया जाता है। व और बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अप्रार्थनी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये ब्याज की वसूली कर के मुख्य [illegible] भूमि के अनुपात 1.13 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- रु. मात्र आदेश कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व अधिकारी/भू.प्र.अधिकारी/पटवारी सम्बन्ध करे वास्ते जमा करवाने [illegible] वसूली/कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू.प्र.अधिनियम की [illegible] भूमि से अप्रार्थनीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। प्रार्थनी और तहसील [illegible] दफ्तर हो तथा कानून से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner